



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Jamyang Tsering Namgyal** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 139 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	MOHMAMAD AMEEN	SH. MOHMAMAD YOUSOF MOB- 9622997522	9	KARGIL
2	TSERING CHOSPAIL	LOBIANG CHATAN MOB- 9622020043	9	LEH
3	HAKIMA BANOO	SH. MOHMAMAD HUSSAIN MOB- 9596971299, 9419816417	8	KARGIL
4	FEROZ ALI	SH. SHARB HUSSAIN MOB- 9596971299, 9419816417	8	KARGIL
5	MOHD AZIZULAH	SH. MANZOOR AHMAD MOB- 9596971299, 9419816417	5	KARGIL
6	TSERENG LANZES	SH. THUPSTAN RENCHIN MOB- 8491072722	6	LEH
7	GIGMAT STANZIN	SH. RIGZEN DORJAY MOB- 9622965695	8	LEH
8	JIGMET RANGDOL	SH. TSENANG DOLMA MOB- 9419242617, 9906946617	8	LEH
9	SONAM YANGZES	SH. DHUNCHOK DORJEY MOB- 9622020043	9	LEH
10	ZULFIKAR ALI	SH. MOHD HADI MOB- 8899116522, 8491072722	7	KARGIL

कृ. पृ. उ.

Handwritten signature and initials.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Jamyang Tsering Namgyal माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, JAMMU संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)